दिनांक 14.07.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई में जिन भवनों के बेसमेंट को बार–बार समझाईस के बाद पार्किंग के रुप में इस्तमाल नहीं कर रहे थे ऐसे 02 व्यवसायिक भवन के बेसमेंट को सील बंद किया। आयुक्त के0एल0 चौहान के निर्देश पर निगम के भवन अनुज्ञा शाखा एवं तोड़फोड़ दस्ता नेहरु नगर चौक पर स्थित ग्राण्ड ढिल्लन होटल एवं शकुन्तला अग्रवाल व्यवसायिक काम्प्लेक्स के बेंसमेंट को सील बंद किया।

जिलाधीश उमेश अग्रवाल एवं आयुक्त के0एल0 चौहान के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच टीम ने शहर के बड़े होटल एवं व्यवसायिक परिसर में बने बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए हो रहा है कि नहीं की जांच के पश्चात् जीई रोड के दोनों किनारों पर स्थित 31 व्यवसायिक परिसरों को नोटिस जारी किया था। बार–बार समझाने के बाद भी बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के रुप में नहीं करने वाले होटल ग्राण्ड ढिल्लन जहॉ बेसमेंट के एक कमरे में कबाड़ समान रखा गया था उसे सील बंद किया गया। वहीं शकुन्तला अग्रवाल व्यवसायिक काम्प्लेक्स के बेंसमेंट में ताला लगा था पुछताछ करने के बाद भी जांच टीम के सदस्यों को व्यवसायिक परिसर के संबंधितों द्वारा उचित जवाब नहीं प्राप्त होने पर भवन मालिक द्वारा बंद किये ताले के उपर निगम ने अपना ताला लगाकर सील बंद किया है।

आयुक्त के0एल0 चौहान ने कहा है कि शहर के बड़े होटल एवं व्यवसायिक परिसरों को उनके भवन में बने बेसमेंट को पार्किंग के रुप में उपयोग करने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम द्वारा समझाईस देकर नोटिस दिया गया है।ऐसे भवनों के विरुद्ध निगम द्वारा नगर पालिक अधिनियम की धाराओं का उपयोग करते हुए शक्ति के साथ कार्यवाही करते हुए सील बंद किया जावेगा। यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। उन्होने कहा है कि जीई रोड के किनारे स्थित जिन व्यवसायिक भवनों के सामने सड़क पर बेतरतीब रुप से वाहन खड़े पाये जायेगें तो उस भवन मालिकों के खिलाफ कार्यवाही किया जायेगा।

सील बंद कार्यवाही के दौरान निगम के प्रतुल्ल श्रीवास्तव, सुरेश केवलानी, दयाल दास साहू, दीपक अगतकर, प्रकाश अग्रवाल, बालकृष्ण नायडु, रामायण सिंह, सहित तोड़फोड़ दस्ता के सदस्य शामिल थे।

जनसम्पर्क अधिकारी